न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 61/2018 जिला–सीकर।

1. सरदारी देवी पत्नि स्वर्गीय श्री बलबीर
2. रामनिवास पुत्र स्वर्गीय श्री बलबीर
3. कमल कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री बलबीर
4. सुनिता पुत्री स्वर्गीय श्री बलबीर
   जाति जाट निवासी ग्राम गुंगारा तहसील सीकर जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र स्वर्गीय श्री बागाराम
2. ईशर पुत्र स्वर्गीय श्री बागाराम
3. नारायणी पत्नी स्वर्गीय श्री बागाराम
4. ताराचन्द पुत्र श्री पन्नाराम
   जाति जाट निवासी ग्राम कोलिडा तहसील व जिला सीकर (राजस्थान)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सीकर जिला सीकर (राजस्थान)।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार सीकर जिला सीकर दिनांक 28.12.2006 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अजय कुमार सैनी।
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 श्री मनोज नेहरा अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 01.03.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सीकर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 28.12.2006 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 22.10.2018 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मृतक खातेदार सुन्दरी देवी बेवा हनुमान की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण मुताबिक गोदनामा बलबीर के नाम दर्ज करने संबंधी तहसीलदार सीकर द्वारा आदेश दिनांक 08.04.2002 पारित किये जाने से प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 747 वाके ग्राम कोलिडा तहसील सीकर जिला सीकर दिनांक 17.04.2002 तहसीलदार सीकर द्वारा स्वीकार फरमा दिया, जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेंट्स ने अपील न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के यहां प्रस्तुत की गई। न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा शीर्षक अपील नेमीचन्द बनाम बलबीर में निर्णय दिनांक 15.09.2004 द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 08.04.2002 को निरस्त फरमाया गया तथा अधीनस्थ तहसीलदार सीकर को रिमांड किया गया।
3. न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 15.09.2004 की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर ने निर्णय दिनांक 28.12.2006 के द्वारा ग्राम कोलिडा स्थित कृषि भूमि ख.न. 1580, 1842 रकबा 4.08 के हिस्सा 1/3 तथा खसरा नम्बर 1778/2164, 1779, 1780, 1781, 1903, 1906, 1907, 1908 कुल किता 8 रकबा 9.13 है0 के रकबा 12 बीघा जो बलबीर पुत्र सुन्दरी बेवाह हनुमान जाट निवासी कोलिडा के नाम नामान्तकरण संख्या 747 दिनांक 17.04.2002 में दर्ज है उसके स्थान पर श्री नेमीचन्द, ईशर पिता बागाराम, नारायणी देवी बेवा बागावास के नाम हिस्सा 1/2 तथा ताराचन्द पुत्र पन्नाराम जाट निवासी कोलिडा के नाम हिस्सा 1/2 की भूमि दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया गया। न्यायालय तहसीलदार सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2006 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर न्यायालय तहसीलदार सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2006 को निरस्त कर नामान्तकरण सख्या 747 दिनांक 17.04.2002 को बहाल किये जाने की प्रार्थना की।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से बरवक्त बहस अधिवक्ता रेस्पोडेंट अनुपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा प्रकरण में निर्णय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) में पारित किया गया था। जिसकी अपील जिला कलक्टर सीकर द्वारा श्रवण योग्य नही थी बल्कि उसकी अपील निदेशक भू राजस्व के समक्ष ही दायर की जा सकती हैं। इसलिये अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा फर्जी तामीली रिपोर्ट को सही तामील मानी गई है तथा अपीलांट्स को सुनवाई के अधिकारी से वंचित रखा गया है जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। अपीलांट्स के पति/पिता बलवीर को विधिक रूप से गोद लिया गया था एवं वह सुन्दरी का प्रथम श्रेणी का वारिस था फिर भी तहसीलदार द्वारा भाई के पोतो के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकार कर विधिक त्रुटि कारित की गई है। हिन्दु दत्तक ग्रहण अधिनियम की धारा 16 के अनुसार पंजीकृत गोदनामे के सही होने की अवधारणा की जायेगी। विरासत के प्रकरण में कृषि भूमि पर कब्जे के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक नही किया जा सकता है। सरपंच को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नही है तथा जब तक गोदनामा निरस्त नही हो जाता है वह वैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुपालन की गई न्यायिक दृष्टांत पुराने हिन्दु कानून से संबंधित होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा अवैधानिक आदेश पारित कर प्रश्नाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गयेः– 1958 RRD 89, 2002 RBJ (9) 108, 2014 RBJ (21) 44, 1987 RRD 140 व 1998 RBJ (5)25 । अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.12.2006 का है लेकिन अपीलांट्स को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 12.09.2018 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट्स के प्रार्थना पत्र धारा 05 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। तहसीलदार सीकर द्वारा उपखण्ड अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 31.01.2002 की पालना में धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 25/2002 दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में तहसीलदार सीकर द्वारा दिनांक 08.04.2002 को आदेश जारी कर मृतका सुन्दरी के विरासत का नामान्तकरण मुताबिक रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 04.01.1992 दत्तक पुत्र बलबीर के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेशो की पालना में नामान्तकरण संख्या 747 दिनांक 17.04.2002 बलबीर के पक्ष में स्वीकृत हुआ। उक्त आदेश दिनांक 08.04.2002 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर सीकर में अपील संख्या 47/2002 प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2004 को निर्णय पारित किया जाकर आदेश प्रदान किये गये कि "अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2002 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित आराजीयात पर कब्जे व मृतक के वैध वारिसान बाबत जांच कर पुनः विधि सम्मत अपना निर्णय पारित करे।" न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 15.09.2004 की पालना में तहसीलदार सीकर द्वारा प्रकरण संख्या 24/05 दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 28.12.2006 को पारित कर नामान्तकरण संख्या 747 दिनांक 17.04.2002 के स्थान पर वर्तमान रेस्पोडेंट्स के पक्ष में मृतका सुन्दरी बेवा हनुमान की विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
सीकर

Scanned by CamScanner

है। अपीलांट्स की प्रथम आपत्ति यह है कि तहसीलदार सीकर द्वारा दिनांक 08.04.2002 का निर्णय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) में पारित किया गया था जिसकी अपील निदेशक भू राजस्व के समक्ष ही की जा सकती थी, जिला कलक्टर उक्त अपील को सुनने में सक्षम नही थे। इसलिये उनके द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2004 प्रथमतः शून्य है तथा उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2006 भी प्रथमतः शून्य है। अतः अपास्त किये जाने योग्य है। इसके संबंध में विधिक स्थिति स्पष्ट है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (1)(F) में प्रावधान है कि भू अभिलेख से संबंधित प्रकरणो में भू अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित प्रथम निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील निदेशक भू अभिलेख द्वारा ही श्रवण योग्य है। जिला कलक्टर उक्त अपील सुनने में सक्षम अधिकारी नही है। इस प्रकार न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2004 क्षैत्राधिकारिता विहीन होने से शून्य प्रभावी है। यहां तक कि उक्त निर्णय में विरासत के प्रकरण में कब्जा जांच करने के जो निर्देश दिये गये है वे भी अवैधानिक है क्योकि विरासत के मामले में कब्जे की जांच किया जाना वांछनीय नही है। तहसीलदार सीकर द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर के शून्य प्रभावी आदेशो की पालना में अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2006 भी विधिक बल रहित है। तहसीलदार सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश पटवारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त मानते हुये पारित किया गया है। पटवारी को कब्जे के निर्धारण की कोई विधिक शक्ति प्राप्त नही है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश शून्य प्रभावी निर्णय की पालना में तथा अवैधानिक आधारो पर पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है। नामान्तकरण संख्या 747 वादग्रस्त भूमि के संबंध में रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर स्वीकृत किया गया है तथा उक्त गोदनामा सक्षम न्यायालय से निरस्त नही कर दिये जाने तक वैध दस्तावेज की श्रेणी में आता है। हिन्दु विधि की धारा 8 के अनुसार स्त्री को दत्तक लेने के सामर्थ्य प्राप्त है। धारा 16 के अनुसार दतक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को सक्षम न्यायालय में नासाबित न कर दिये जाने तक दत्तक को अधिनियम के उपबन्धो के अनुपालन में किया गया माना जायेगा।

7. इस प्रकार तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 08.04.2002 की पालना में स्वीकृत किया गया नामान्तकरण संख्या 747 दिनांक 17.04.2002 विधिक प्रावधानो के अनुरूप स्वीकृत किया गया है। तत्पश्चात् न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2004 एवं न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2006 क्षैत्राधिकार विहीन होने एवं विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2006 निरस्त किया जाकर प्रश्नगत नामान्तकरण सख्या 747 दिनांक 17.04.2002 वाके ग्राम कोलीडा तहसील सीकर जिला सीकर बहाल किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner